

गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फार्म
पन्तनगर फार्म पोस्ट-हल्दी
जिला-ऊधम सिंह नगर, पिन-263145

विश्वविद्यालय फार्म के एन खण्ड पूर्वी प्रक्षेत्र बेनी में स्थित मछली के तालाब को तीन वर्ष (माह अगस्त 2025 से जुलाई 2028 तक)
की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क पर दिये जाने हेतु निविदा।

निविदा-प्रपत्र

निविदा संख्या..... : निविदा शुल्क ₹ 2000.00 प्रति निविदा+ जी0एस0टी0
निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय : दिनांक 08.08.2025 पूर्वान्ह 10.00 बजे से
निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समय : दिनांक 20.08.2025 सांय 3.30 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय : दिनांक 21.08.2025 को अपरान्ह 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय : दिनांक 21.08.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे

क्र0सं0	विवरण	क्षेत्रफल है0	लाइसेंस शुल्क की अवधि	धनराशि
1	एन खण्ड, पूर्वी प्रक्षेत्र, बेनी में स्थित मछली के तालाब को माह अगस्त 2025 से जुलाई 2028 तक की अवधि के लिये लाइसेंस शुल्क पर दिया जाना	2.00	मह अगस्त 2025 से जुलाई 2028 तक	अंको में ₹ शब्दों में ₹

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मान्य है। धरोहर धनराशि ₹ बैंक ड्राफ्ट सं0...
..... दिनांक..... के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 सं0.....

दिनांक.....

धनराशि ₹

निविदाता के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पिता/पति का नाम

ग्राम व पो0.....

तह0..... जनपद.....

पिन..... दूरभाष.....

आधार नं0

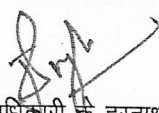
पैन नं0 मो0 नं0.....


निविदा निर्गत अधिकारी के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय फार्म के 'एन' खण्ड, बेनी स्थित 2.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल में अवस्थित मछली तालाब को शुल्क पर दिये जाने हेतु

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को निविदायें दिनांक 21.08.2025 को अपरान्ह 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी, जो दिनांक 21.08.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेंगी।
 2. प्रत्येक निविदादाता द्वारा निविदा के साथ ₹ 50,000.00 की धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट, सवाधि जमा पत्र के साथ देय होगी। उक्त धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फार्म खाता के नाम से जमा करना आवश्यक है। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर निविदा में अधिकतम दरें प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम दरदाता द्वारा यदि निविदा वापस ली जाती है तो ऐसी दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी, जिसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होंगे।
 3. ठेके की सम्पूर्ण धनराशि को 02 किस्तों में जमा करनी होगी, प्रथम किस्त (कुल मूल्य का 50 प्रतिशत) का भुगतान स्वीकृति पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर करनी होगी एवं इसके साथ ही एक वर्ष छः माह बाद की द्वितीय किस्त (कुल मूल्य का 50 प्रतिशत) का पी0डी0सी0 चैक (पोस्ट डेटेड चैक) भी जमा कराना होगा।
 4. यदि लाइसेंस शुल्कदाता द्वारा अपरिहार्य परिस्थितिवश किस्त का भुगतान समय से नहीं किया जाता है तो प्रारम्भ के 06 माह तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एवं उसके उपरान्त 2.00 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। किस्तों की देय विलम्ब शुल्क आगामी किस्त की धनराशि के साथ जमा कराना आवश्यक होगा।
 5. उक्त किस्तों की धनराशि के समय पर भुगतान हेतु पी0डी0सी0 चैक (पोस्ट डेटेड चैक) निविदादाता द्वारा जमा कराया जाना आवश्यक होगा। निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये पी0डी0सी0 चैक किसी भी कारण से बाउन्स होने पर निविदा की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा निविदादाता के विरुद्ध कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी, इसके लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। किस्त की धनराशि का भुगतान केवल बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक अथवा आर0टी0जी0एस0 अथवा एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। किसी भी दशा में नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि लाइसेंस शुल्कदाता द्वारा निर्धारित तिथि तक किस्तों की धनराशि किसी भी कारणवश जमा नहीं कराये जाने की दशा में उत्पन्न विवाद का निस्तारण माननीय कुलपति जी अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक दशा में कुलपति, गो0ब0 पन्त कृ0 एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
 6. यदि सम्बन्धित ठेकेदार ठेका लेने के उपरान्त कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
 7. तालाब की निविदा की अवधि माह अगस्त 2025 से जुलाई 2028 तक की होगी। अनुबन्ध, निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त प्रपत्र निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर करना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में निर्गत किये जाने वाले प्रपत्र पर भी अवगत कराया जायेगा।
 8. सम्बन्धित ठेकेदार को तालाब में पानी भरने के लिये डीजल पम्प/विद्युत पम्प की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
 9. मछली तालाब की सुरक्षा ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, किसी भी प्रकार की क्षति होने की स्थिति में विश्वविद्यालय फार्म उत्तरदायी नहीं होगा।
 10. सम्बन्धित ठेकेदार को अपने खर्च पर ₹ 100.00 के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाना होगा तथा दोनों पक्षों के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के पश्चात् किये गये अनुबन्ध को निविदादाता द्वारा पंजीकृत कराया जाना होगा।
 11. तालाब की मछली बिक्री पर यदि किसी भी प्रकार का कर यथा-जी0एस0टी0, स्टॉम्प ड्यूटी, ई0एस0आई0सी0 अथवा अन्य किसी प्रकार का टैक्स जो नियमानुसार देय होगा वह उच्चतम निविदादाता द्वारा ही स्वयं जमा कराया जाना होगा।
 12. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कुलपति महोदय में निहित होगा। इसके साथ ही सम्बन्धित निविदा अथवा अनुबन्ध को बिना किसी कारण बिना किसी पूर्व सूचना दिये हुये निरस्त किये जाने का भी अधिकार कुलपति, गो0ब0 पन्त कृ0 एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर का होगा, जिसे दोनों पक्षों को स्वीकार होगा। उक्त समस्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त माना जायेगा।
- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 12 तक) पढ़ ली गयी है तथा वह मान्य है।


निविदा निर्गत अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर

टिप्पणी एवं आदेश

महाप्रबन्धक (ऑपरेशन) फार्म / मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म

कृपया विश्वविद्यालय फार्म पर बेनी प्रक्षेत्र के 'एन' खण्ड में स्थित मछली तालाब (क्षेत्रफल 2.00 है0) को लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 30.06.2025 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु दिया गया था। जिसकी शुल्क अवधि दिनांक 30.06.2025 को समाप्त हो रही है। तदनुसार 'एन' खण्ड पूर्वी क्षेत्र, बेनी को पुनः आगामी तीन वर्षों के लिए लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार 'एन' खण्ड, बेनी में स्थित मछली तालाब (क्षेत्रफल 2.00 है0) को दिनांक 01.07.2025 से आगामी तीन वर्षों हेतु दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2028 तक लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिये जाने के लिए निम्न बिन्दुओं पर स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें :-

1. मछली तालाब को लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिये जाने हेतु निविदा सूचना को एक प्रादेशिक एवं एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन की स्वीकृति तथा निविदा प्रकाशन में होने वाले व्यय का भुगतान फार्म निधि से किये जाने की स्वीकृति।
2. निविदा सूचना एवं शर्तों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारण की स्वीकृति।
3. निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्तों (संलग्न संख्या-131) की स्वीकृति।
4. निविदा आमंत्रण एवं निविदा खोले जाने हेतु तिथि एवं समय निर्धारित किये जाने के लिए मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म को अधिकृत किये जाने की स्वीकृति।
5. उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदा को खोलने एवं परीक्षण किये जाने के पश्चात् आवश्यक संस्तुति किये जाने हेतु निम्न समिति के गठन की स्वीकृति।

1) अधिष्ठाता, मत्स्य महाविद्यालय	-	अध्यक्ष
2) नियंत्रक/नामित	-	सदस्य
3) मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म	-	सदस्य
4) महाप्रबन्धक, ऑपरेशन, फार्म	-	सदस्य
5) प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय/नामित	-	सदस्य
6) सहायक निदेशक, फार्म	-	संयोजक

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या-01 से 05 पर स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

सहायक निदेशक, फार्म

अग्रसारित

15/5/2025

A.A.O

(जयन्त सिंह)

मुख्य महाप्रबन्धक फार्म

उपनियंत्रक / मुख्य महाप्रबन्धक फार्म

कृपया महाप्रबन्धक, ऑपरेशन द्वारा अग्रसारित सहायक निदेशक, फार्म के उपरोक्त प्रस्ताव का अवलोकन करने की कृपा करें, जो कि विश्वविद्यालय, फार्म के बेनी प्रक्षेत्र के 'एन' खण्ड में स्थित मछली तालाब (क्षेत्रफल 2.00 है0) को लाइसेंस शुल्क के आधार पर तीन वर्ष की अवधि (दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2028 तक) के लिये निविदा के माध्यम से दिये जाने विषयक है।

टिप्पणी एवं आदेश

प्रस्तावानुसार अवगत कराना है कि 'एन' खण्ड में स्थित मछली तालाब की लाइसेंस अवधि दिनांक 30.06.2025 को समाप्त हो रही है। जिसको पुनः लाइसेंस शुल्क के आधार पर तीन वर्ष की अवधि (दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2028 तक) निविदा के माध्यम से दिया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपर्युक्त का अवलोकनानुरान्त महाप्रबन्धक, ऑपरेशन द्वारा अग्रसारित सहायक निदेशक, फार्म के पूर्व पृष्ठ 23 पर प्रस्तावित प्रस्ताव के क्रम में विश्वविद्यालय, फार्म के बेनी प्रक्षेत्र के 'एन' खण्ड में स्थित मछली तालाब (क्षेत्रफल 2.00 है०) को लाइसेंस शुल्क के आधार पर तीन वर्ष की अवधि (दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2028 तक) के लिये निविदा के माध्यम से दिये जाने हेतु उपरोक्त बिन्दु सं० 01 से 05 पर स्वीकृति प्राप्त प्राप्त किये जाने हेतु पत्रावली नियंत्रक/कुलपति जी को प्रेषित की जा सकती है।

16/05/25
(H)

16/5/25

17/5/25
(जयन्त सिंह)
मुख्य महाप्रबन्धक फार्म



सहायक निदेशक / निदेशक / निदेशक

कृपया पूर्व पृष्ठ 23 एवं 24 पर मुख्य महाप्रबन्धक ऑपरेशन फार्म

के उत्तर का कलकल कर के का कलकल कर के फिलम उबले हाट
पूर्व पृष्ठ 23 पर महाप्रबन्धक, ऑपरेशन द्वारा अग्रसारित प्रस्ताव के
अनुसार 'एन' खण्ड बेनी में स्थित मछली तालाब (क्षेत्रफल 2.00 है०)
को लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिये जाने हेतु प्रस्तावित किया
गया है।

(278)
20/5/25
च.
29/5/25
प्र

अवगत कराना है कि प्रस्ताव लाइसेंस की अवधि दिनांक

30/06/2025 को समाप्त हो रही है जिसके क्रम में निविदा

के आधार पर दिनांक 01/07/2025 से 30/06/2028 तक

लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिये जाने की स्वीकृति
हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में सम्मुख सही पृष्ठ सं० 131 पर निविदा प्रस्ताव
एवं निविदा की शर्तें स्वीकृत की गयी हैं जिसका निदेशक परीक्षण
कराया जाना आवश्यक है।

Singhania
A-201/B

अतः उक्त के क्रम में निविदा प्रस्ताव एवं निविदा की शर्तों के
निदेशक परीक्षण हेतु पत्रावली निदेशक, निदेशक को प्रेषित करवाया है।

21/5/25
(H)

टिप्पणी एवं आदेश

महाप्रबन्धक (ऑपरेशन) फार्म / मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म

कृपया विश्वविद्यालय फार्म पर बेनी प्रक्षेत्र के 'एन' खण्ड में स्थित मछली तालाब (क्षेत्रफल 2.00 है०) को लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिनांक 01.07.2022 से दिनांक 30.06.2025 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु दिया गया था। जिसकी शुल्क अवधि दिनांक 30.06.2025 को समाप्त हो रही है। तदनुसार 'एन' खण्ड पूर्वी क्षेत्र, बेनी को पुनः आगामी तीन वर्षों के लिए लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार 'एन' खण्ड, बेनी में स्थित मछली तालाब (क्षेत्रफल 2.00 है०) को दिनांक 01.07.2025 से आगामी तीन वर्षों हेतु दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2028 तक लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिये जाने के लिए निम्न बिन्दुओं पर स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें :-

1. मछली तालाब को लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिये जाने हेतु निविदा सूचना को एक प्रादेशिक एवं एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन की स्वीकृति तथा निविदा प्रकाशन में होने वाले व्यय का भुगतान फार्म निधि से किये जाने की स्वीकृति।
2. निविदा सूचना एवं शर्तों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारण की स्वीकृति।
3. निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्तों (संलग्न संख्या-131) की स्वीकृति।
4. निविदा आमंत्रण एवं निविदा खोले जाने हेतु तिथि एवं समय निर्धारित किये जाने के लिए मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म को अधिकृत किये जाने की स्वीकृति।
5. उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदा को खोलने एवं परीक्षण किये जाने के पश्चात् आवश्यक संस्तुति किये जाने हेतु निम्न समिति के गठन की स्वीकृति।

1) अधिष्ठाता, मत्स्य महाविद्यालय	-	अध्यक्ष
2) नियंत्रक/नामित	-	सदस्य
3) मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म	-	सदस्य
4) महाप्रबन्धक, ऑपरेशन, फार्म	-	सदस्य
5) प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय/नामित	-	सदस्य
6) सहायक निदेशक, फार्म	-	संयोजक

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या-01 से 05 पर स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

3/14/5/25
सहायक निदेशक, फार्म

अग्रसारित
15/5/2025

A.A.O.
(जयन्त सिंह)
मुख्य महाप्रबन्धक फार्म

उपनियंत्रक/मुख्य महाप्रबन्धक फार्म

कृपया महाप्रबन्धक, ऑपरेशन द्वारा अग्रसारित सहायक निदेशक, फार्म के उपरोक्त प्रस्ताव का अवलोकन करने की कृपा करें, जो कि विश्वविद्यालय, फार्म के बेनी प्रक्षेत्र के 'एन' खण्ड में स्थित मछली तालाब (क्षेत्रफल 2.00 है०) को लाइसेंस शुल्क के आधार पर तीन वर्ष की अवधि (दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2028 तक) के लिये निविदा के माध्यम से दिये जाने विषयक है।

Notes & Order

निदेशन

पृष्ठ 131 पताचार और और शक्ति निविदा-प्रपत्र एवं निविदा और शर्तों का परीक्षण और लिखा गया है। सुझाव भी कांशिक संशोधन के अन्तर्गत, सहज ही और दस्त में, अग्रेषण कार्यवाही पर निदेश किया जा रहा है।

19/6/25

Director Legal

निदेशन/आदेश/आदेश (ब)/निदेशन/

समाप्त उपरोक्त विदेश, विधि की काला का अवलोकन करने का कार्य करें जिसमें उनके द्वारा अलग-अलग किया गया है।
की प्रतियाँ के पृष्ठ सं-131 में उल्लिखित निविदा-प्रपत्र एवं निविदा की शर्तों का परीक्षण का कांशिक संशोधन किया गया है।

अतः अतः के माध्यम से निविदा-प्रपत्र में कांशिक निविदा की शर्तों में विदेश, विधि द्वारा लिखे गए संशोधन किए जाते हैं।
जहाँ के पताचारी मुख्य महामन्त्री, जहाँ के प्रेषित कार्य करें।

C-983
05/06/25
06/06/25

AAO (Principal)

18/06/25

19/6/25

19/6/25

18/06/25

19/6/25

19/6/25

(जयन्त सिंह)
मुख्य महाप्रबन्धक कार्य

टिप्पणी एवं आदेश

मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म

1/21/6/25

कृपया पूर्व पृष्ठ संख्या-25 पर निदेशक विधि द्वारा दिये गये सुझावों को निवेदि की शर्तों में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है, जो कि सम्मुख अवलोकनीय है।

अतः पूर्व पृष्ठ संख्या-23 के बिन्दु संख्या-01 से 05 पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु पत्रावली पुनः नियंत्रक को प्रेषित करना चाहें।

3/21/6/25
सहायक निदेशक, फार्म

स्वीकृति हेतु मग/सापि
मुख्य महाप्रबन्धक/फार्म
विश्वविद्यालय फार्म मुख्यालय, हल्दी

F. 1241
21/6/25

~~सहायक निदेशक/सहायक निदेशक/विश्वविद्यालय/कुलपति~~

कृपया उपरोक्त मुख्य महाप्रबन्धक, बि० बि० फार्म की टीप का

अवलोकन करते हुए आप उन्हें जिले में उनके द्वारा कथित कराया गया है कि पूर्व पृष्ठ 25 पर निदेशक विधि द्वारा निवेदि उपर में कांक्षित निवेदि की शर्तों के विधि गये संशोधन के अनुसार कार्यवाही करते हुए संशोधित निवेदि उपर पत्रावली में पृष्ठ संख्या 132 पर सम्मुख स्वीकृति दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त के दृष्टिकोण पूर्व पृष्ठ 23 पर बि० बि० फार्म पर वेरी प्रोत्त के 'एन' खण्ड में स्थित मद्रासी तालाब (2-00 ई०) को मद्रासी बशुल्ल के काद्या पर दिनांक 01/07/25 से दिनांक 30/06/2028 तक दिये जाते हेतु पृष्ठ सं०-23 के बिंदु संख्या 01 से 05 पर स्वीकृति प्रदान कराया जावे।

6-1133
23/06/25
मुख्य महाप्रबन्धक
JAC (Budget)

23/06/25
JAC

Dr. Phamki
Acad/B

24/6/25
H/O

25/06/25
H/O

25/6/25
H/O

26/6
H/O

28/6/25
COMPTROLLER

VC

09.7.25

28/06/25